सरकार को होगी 300 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय

बार और शराब दुकानों की लाइसेंस फीस में 15 से 70% तक बढ़ोतरी

ब्यूरो | मुंबई. महाराष्ट्र सरकार ने बार और शराब की दुकानों से वसूली जाने वाली वार्षिक लाइसेंस फीस में 15 से 70 प्रतिशत तक बढ़ोतरी कर दी है। बीयर बार की सालाना लाइसेंस फीस में 15 और शराब की दुकानों की फीस में 70 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की गई है। इस फैसले पर रेस्त्रां और बार उद्योग ने नाराजगी जताई है।

उत्पादन शुल्क विभाग ने अधिसूचना के जरिए बार और वाइन शॉप के लाइसेंस के नवीनीकरण और उसको एक साल के लिए जारी रखने साल 2022-23 के लिए दर निश्चित की है। बार के लिए प्रति वर्ष लाइसेंस फीस को 6 लाख 93 हजार से बढ़ाकर 7 लाख 97 हजार रुपए कर दिया गया है। वाइन शॉप के लिए लाइसेंस फीस की राशि 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 21 लाख रुपए कर दी गई है। सरकार को फीस में इस बढ़ोतरी से 300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व मिलने का अनुमान है।

> कोरोना संकट में लगभग 30 प्रतिशत होटल और रेस्त्रां स्थायी रूप से बंद हो गए हैं। इनके मालिकों पर कर्ज लगातार बढ़ रहा है। साल 2019 में इस उद्योग से 50 लाख कर्मचारी प्रत्यक्ष जुड़े हुए थे लेकिन कोरोना संकट के बाद लगभग 50 प्रतिशत कर्मचारियों ने नौकरी खो दी हैं। सरकार के इस तरह के फैसले होटल-रेस्त्रां उद्योग को नुकसान पहुंचाने वाले हैं।'
>
> **-प्रदीप शेट्टी**, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, होटल एंड रेस्त्रां एसोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया

दैनिक भास्कर
Tue, 01 February 2022
https://epaper.bhaskarhindi.com/c/65963901